निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण 1935 (शo)

(सं0 पटना 659) पटना, बुधवार, 14 अगस्त 2013

विधि विभाग

अधिसूचना

14 अगस्त 2013

सं0 एल0जी0-1-3/2013/लेज:160—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल **दिनांक 11 अगस्त, 2013** को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उज्ज्वल कुमार दुबे,

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013

[बिहार अधिनियम 18, 2013]

पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 24, 1976) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना:- चूँकि, बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद नियुक्ति की समस्त व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप बनाया जाना राज्य के शिक्षण हित में अत्यंत ही आवश्यक है,

और, चूँकि, पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत विभिन्न विनियमों में अंकित प्रावधानों के अनुरूप राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति किया जाना अनिवार्य है।

अत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत रेगुलेशनों के अनुरूप अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ ।**-(1) यह अधिनियम पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।

   (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा-2 का संशोधन ।**- पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 24, 1976) (इसमें आगे उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा-2 के खंड-(य) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा:-

   "(य) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग ।"

3. **बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा-56 का संशोधन ।**- उक्त अधिनियम की धारा-56 में निम्नलिखित संशोधन किए जायेंगे, यथा :-

   (क) विद्यमान खण्ड (i) के पहले शीर्षक सहित नई उप-धारा (1) अन्त:स्थापित की जायगी, यथा:-

   "56. विश्वविद्यालय तथा उसके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति ।

   (1)(i) इस अधिनियम और परिनियमों में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए आयोग विश्वविद्यालय के शिक्षकों के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति के संबंध में यथासंभव उन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे राज्य सेवाओं के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 द्वारा सुपुर्द किये गये है।

   (ii) राज्य सरकार की अनुशंसा पर आयोग विश्वविद्यालय एवं उसके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षक (सहायक प्राचार्य) के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा का आयोजन कर सकेगा, जिसे राज्य पात्रता परीक्षा (स्टेट इलिजिविलिटी टेस्ट) कहा जा सकेगा। इस निमित आयोग केवल वैसे अभ्यर्थियों से विषयवार आवेदन आमंत्रित करेगा, जिन्हें यू०जी०सी० के विनियम 2010 में अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर विहित अर्हतायें प्राप्त हो;

   परन्तु आयोग ऐसी परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाई गई विनियम के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश के अध्यधीन संचालित करेगी।

   (iii) आयोग प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय एवं उसके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षक (सहायक प्राचार्य) के पदों पर नियुक्ति हेतु केवल वैसे अभ्यर्थियों से विषयवार आवेदन आमंत्रित करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/कौसिंल फौर साइन्टिफिक एण्ड इंडस्ट्रीयल रिसर्च द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लिये हों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2010 द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें अथवा समय-समय पर विहित अर्हताऐं प्राप्त हो;

परन्तु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एम0फिल/पी.एच0डी0 उपाधि के लिए गठित न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम 2009 के आधार पर पी.एच0डी0 डिग्री प्राप्त कर लिया है, को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा से उत्तीर्णता प्राप्त करने की छूट होगी।

(iv) विषयवार रिक्तियां अगले पंचांग वर्ष की अनुमानित रिक्तियों सहित आरक्षण रोस्टर के साथ प्रत्येक वर्ष की इक्तीसवीं दिसम्बर तक विश्वविद्यालय द्वारा आयोग को भेजी जायेगी।

(v) विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से स्वीकृत तथा संसूचित शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति, आयोग की अनुशंसानुसार ही करेगा और शिक्षकों के पदों पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी नियुक्ति आयोग की अनुशंसा के बिना नहीं की जायगी। विश्वविद्यालय के शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यकतानुसार की जाने वाली अनुशंसा में आयोग इसमें अन्तर्विष्ट शर्त्तों का पालन करेगा।

(vi) खण्ड (iii) के अधीन आवेदित आवेदकों की अन्तर्वीक्षा के आधार पर आयोग विश्वविद्यालय द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति के लिये विषयवार मेधा सूची तैयार करेगा, और ऐसी सूची इसके अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष तक के लिए विधिमान्य होगी। विषयवार सूची में रिक्तियों के दोगुणा नाम योग्यता क्रम में रखे जायेंगे, किन्तु आयोग एक रिक्ति के विरूद्ध केवल एक नाम ही नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय को एक समय में भेजेगा;

परन्तु, यह कि आयोग मेधा सूची तथा अधिमानक्रम से राज्य में नियुक्तियों में आरक्षण विषयक लागू विधि के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये आरक्षण रोस्टर के आधार पर विश्वविद्यालय को नाम अनुशंसित करेगा। इस अधिनियम, परिनियम के उपबंधों में कोई प्रतिकूल बात के होते हुए भी बिहार राज्य में प्रभावी आरक्षण नीति सभी नियुक्तियों पर लागू होगी।

(vii) आयोग की समस्त कार्यवाहियाँ, बैठक का कार्यवृत्त, योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची सहित प्रतिदिन के आधार पर पूरी कर ली जायेगी। योग्यता सूची से संबंधित अभिलेख आयोग द्वारा हस्ताक्षरित होंगे तथा संबंधित विषय की योग्यता सूची को उस विषय के अन्तर्वीक्षा की अंतिम तिथि को ही अंतिम रूप दे दी जायेगी।

(viii) आयोग द्वारा तैयार की गयी मेधा सूची निर्गत तिथि से एक वर्ष तक के लिए विधिमान्य होगी। नियुक्ति करते समय, विश्वविद्यालय द्वारा खण्ड (vi) के अधीन आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने की तारीख से छः महीनों के भीतर, आयोग द्वारा दी गयी अनुशंसा अनुसार विश्वविद्यालय नियुक्ति करेगी।

(ix) विश्वविद्यालय तथा अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति, सेवामुक्ति, हटाया जाना, सेवा समाप्ति या पदावनति के संबंध में आयोग के परामर्श से विहित रीति से कार्रवाई करेगी।

(x) विश्वविद्यालय विभागों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए बोर्ड का गठन यू0जी0सी0 द्वारा समय-समय पर परिचालित विनियमों में निहित प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा संसूचित निदेशों के आलोक में आयोग द्वारा किया जायगा;

परन्तु नियुक्ति की अनुशंसा करने के लिए आयोजित बोर्ड की बैठकों में संबंधित विषय के कम-से-कम तीन विशेषज्ञ उपस्थित रहेगें।

(ख) वर्त्तमान खण्ड (i) के पूर्व कोष्ठक और अंक यथा उप-धारा "(2)" जोड़ी जायगी तथा उसमें जहाँ-जहाँ शब्द "शिक्षक" आया है को शब्द "प्रधानाचार्य" से प्रतिस्थापित किया जायगा।

4. **बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा-57 का प्रतिस्थापन ।**- उक्त अधिनियम में धारा-57 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा, यथा :-

"57. परिनियम द्वारा विहित की जानेवाली चयन प्रक्रिया :- इस अधिनियम, परिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी प्रावधान के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा-56(2) के

अधीन गठित चयन समिति इस अधिनियम के अधीन विहित प्रक्रिया के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य होंगे ।"

5. **व्यावृति ।**- अधिनियम की धारा-56(1) एवं 56(2) के अन्त:स्थापन एवं संशोधन के होते हुए भी, पूर्व में किया गया कुछ भी या विनिश्चय और की गई कार्रवाई विधि पूर्ण किया गया समझा जायेगा या की गई समझी जायेगी और प्रतिस्थापन या विलोपन के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा या की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

14 अगस्त 2013

सं0 एल0जी0-1-3/2013/161/लेज:।-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2013 को अनुमत **पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

Patna University (Amendment) Act, 2013
[Bihar Act 18, 2013]
AN
ACT
to amend Patna University Act, 1976 (Bihar Act 24, 1976)

Preamble: Whereas, in the interest of the education in the State it is most expedient to make the entire provisions of the appointment to the posts of teachers in the University and Colleges of the Bihar State in conformity with the prescribed standards of University Grants Commission;

And, whereas, it is essential to make appointments to the posts of teachers in the Universities of the State by making the provisions of the appointment of teachers in the Patna University Act, 1976 in conformity with the provision laid down in the various regulations issued by the University Grants Commission.

Hence, it is necessary to amend the Act as per the regulation issued by the University Grants Commission.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty fourth year of the Republic of India as follows :-

1. **Short tittle and Commencement.—**(1) This Act may be called The Patna University (Amendment) Act, 2013.
(2) It shall come into force at once.

2. **Amendment in Section-2 of Bihar Act, 24, 1976.—**In the Patna University Act, 1976 (Bihar Act 24, 1976) (hereinafter refered to as the said Act) in Section-2 clause (za) shall be substituted by the following; namely :-
"(za) 'Commission' means Bihar Public Service Commission."

3. **Amendment in Section 56 of Bihar Act 24, 1976.—**In the said Act section-56 shall be admended as follows; namely :-
(a) before the existing clause (i) including heading following new sub section (1) shall be inserted; namely :-
"56 Appointment to the post of teachers in University and their constituent Colleges:—(1)(i) Subject to the provision mentioned in this Act and Statutes as

far as possible the Commission shall perform the same function in respect of the appointments to the sanctioned posts of the teachers of University as are assigned to it by Article 320 of the Constitution of India in relation to the State Service.

(ii) The Commission on the recommendation of the State Government may organise an eligibility test to be called "State Eligibility Test" for appointment to the posts of Teacher (Assistant Professor) in the University and Constituent Colleges under them. In this behalf, Commission shall invite subjectwise application only from such candidates who have obtained the qualification prescribed in UGC Regulations, 2010 or as may be prescribed by the University Grants Commission from time to time;

Provided that, such test shall be conducted by the Commission in the light of the order issued by the State Government in confermity with the Regulations made by the University Grants Commission.

(iii) Every year the Commission shall invite subject wise applications for appointment to the posts for Teacher (Assistant Professor) in the University and their constituent College only from such candidates who have passed the National Eligibility Test conducted by the University Grants Commission/Council for Scientific and Industrial Research/State Eligibility Test and obtained minimum qualification prescribed by the University Grants Commission Regulations, 2010 or as may be prescribed from time to time;

Provided that, the candidates who have obtained Ph.D.Degree on the basis of Minimum Standard and Procedure Regulation, 2009 framed by the University Grants Commission for M.Phil/Ph.D.Degree, shall be exempted from passing the National Eligibility Test.

(iv) The subjectwise vacancies including the presumed vacancies of the next calendar year alongwith the reservation roster shall be forwarded to the Commission by the University upto thirty first December every year.

(v) The University shall make appointments to the posts of Teachers, duly sanctioned and communicated by the State Government, only on the recommendation of the Commission and no appointment to the post of teachers shall be made by the University without the recommendation of the Commission. Commission shall comply with the conditions laid down in this section for making recommendations for appointment to the posts of teachers of the University according to their need.

(vi) The commission shall prepare a subjectwise merit list against the vacancies communicated by the University on the basis of the interview from among the candidates applied for under clause(iii). The subject wise list shall contain the names of the candidates in order of merit double in number of the vacancies, however the commission shall forward only one name at a time to the University for appointment against vacancy;

Provided that, the Commission shall recommend the names to the University in order of merit and on the basis of reservation roster sent by the University in conformity with the laws applicable to reservation in appointments in the State. Notwithstanding anything contrary to the provision of this Act, Statute, the reservation policy prevalent in the Bihar State shall be applicable to all the appointments.

(vii) All the proceedings of the Commission shall be completed on daily basis itself, which includes minutes of the meeting, the list of the candidates on the basis of merit. The records pertaining to the merit list shall be signed by the Commission and the merit list of subject concerned shall be finalised on the last day of the interview of that subject.

(viii) The merit list prepared by the Commission shall be valid for one year from the date of its issue. On receipt of the recommendations of the Commission under clause (vi) the Unversity shall make appointments as per the recommendation of the commission within six months from the date of its receipt.

(ix) In respect of appointment, dismissal, removal, termination of service or demotion of teachers of the University and Constituent College, the University shall take action in consulation with the Commission in prescribed manner.

(x) The Board for selection of candidated for appointments to the posts of teacher of the University Departments and constituent Colleges shall be constituted by the commission in view of the directions communicated by the State Government in conformity with the provisions prescribed in the regulations circulated by the U.G.C. from time to time;

Provided that at least three experts of the subjects concerned shall attend the meeting of Board organised for making recommendations for appointment.

(b) Before existing clause (i) a bracket and number as sub section "(2)" shall be added and the word "teachers" wherever occured in this sub-section shall be substituted by the word "Principal".

4. Substitution of Section 57 of the Bihar Act 24, 1976.—In the said Act section 57 shall be substituted by following nemely :-

"57. Procedure of selection to be prescribed by the Statute:— Notwithstanding any thing contained in any provision of this Act, Statute or any other laws for the time being in force, the Selection Committee constituted under section 56(2) shall be bound by the procedure of selection prescribed under this Act."

5. Saving.—Notwithstanding the subsitution of section 56(1) and 56(2) of this Act, anything done or decision and action taken prior to it shall be deemed to have been validly done or taken and shall not be questioned on the ground of the subsitutuion or deletion.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 659-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in